न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हनुमान सहाय मीणा, (आर.जे.एस.)

दीवानी वाद संख्या :— 26/2025

बजरंगलाल दत्तक पुत्र मथरालाल मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थितः

श्री दिनेश कुमार शर्मा : विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।

प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक 07.04.2026

01. वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद वास्ते आदेशात्मक आज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में से खसरा न० 547 रकबा 0.60 है० में से 0.2318 है० व खसरा न० 548 रकबा 0.29 है० में से 0.1691 है० कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दिल्ली—बड़ौदरा 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (डी) की उपधारा (3) के अन्तर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 में जारी की जा चुकी है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में किया जा चुका है। जिससे उक्त भूमि केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निहित हो चुकी है और उक्त भूमि प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में संदय राशि का निर्धारण किया जो चुका है। वादी के हिस्से भाग की भूमि अवाप्ति का मुआवजा बाबत नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/एनएच.148एन/2019/1235 किता 2 दिनांक 13.09.2019 में वर्णित 1/4

की हिस्सा राशि 20,22,992 रुपये व 1,47,574 रुपये बाबत नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/N.H.148N/2019/1235 किता 2 दिनांक 13.09.2019 को प्रतिवादी क्रम 01 के कार्यालय से जारी हो चुका है। उक्त नोटिस वादी के दत्तक पिता मथरा के नाम से जारी किया गया है। मथरा की मृत्यु हो जाने से वादी एक मात्र वारिस है। जिसको प्राप्ति बाबत वादी प्रतिवादी क्रम 01 के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज पेश कर चुका है परन्तु प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा वादी को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मथरा आत्मज माधो की मृत्यु दिनांक 18.09.1997 को हो चुकी है और वादी मथरा का दत्तक पुत्र है जो मात्र एक वारिस है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज में पिता का नाम मथरा ही दर्ज है। वादी ने मथरा लाल के फौती इंतकाल बाबत भी कार्यवाही तहसील कार्यालय इन्द्रगढ़ व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में पेश की हुई है। दिनांक 09.10.2025 को उपखण्ड अधिकारी साहब लाखेरी को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात भी भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाकर डिक्री पारित की जावे कि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के कार्यालय से जारी नोटिस में वर्णित मुआवजा राशि का मुआवजा वादी को दिलवाए जाने की आदेशात्मक आज्ञा की डिक्री पारित फरमाये जाने का निवेदन किया।

02. बावजूद नोटिस प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया।

03. वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड.1 बजरंगलाल, पी.ड.02 प्रहलाद व पी.ड.03 चेतराम को परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्श–1, भूमि अवाप्ति नोटिस दिनांक 13.09.2019 प्रदर्श–2, नोटिस दिनांक 13.09.2019 प्रदर्श–3, मतदाता सूची ग्राम डपटा क्रम संख्या 105 प्रदर्श–4, बिजली बिल प्रदर्श–5 लगायत 9 एवं गोदनामा प्रदर्श–10 को प्रदर्शित करवाया है।

04. बहस अंतिम एकपक्षीय विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

05. प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि–

1. क्या वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र की अनुतोष मद में वर्णित विशिष्ठ अनुपालना व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है?

–वादी

2. अनुतोष?

06. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था जिसके अंतर्गत वादी द्वारा यह साबित किया जाना था कि क्या वादी विरूद्ध प्रतिवादी वादपत्र की अनुतोष मद में वर्णित स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए वादी ने अपने वादपत्र के तथ्यों को अपने शपथ पत्र में दोहराते हुए कथन किया है कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 दिल्ली–बड़ौदरा 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (डी) की उपधारा (3) के अन्तर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 में जारी की जा चुकी है। जिसका प्रकाशन समाचार पत्र में किया जा चुका है। जिससे उक्त भूमि केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निहित हो चुकी है और उक्त भूमि प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में संदय राशि का निर्धारण किया जो चुका है। वादी के हिस्से भाग की भूमि अवाप्ति का मुआवजा बाबत नोटिस प्रतिवादी क्रम 01 के कार्यालय से जारी हो चुका है। उक्त नोटिस वादी के दत्तक पिता मथरा के नाम से जारी किया गया है। मथरा की मृत्यु हो जाने से वादी एक मात्र वारिस है। जिसको प्राप्ति बाबत वादी प्रतिवादी क्रम 01 के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज पेश कर चुका है परन्तु प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा वादी को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मथरा आत्मज माधो की मृत्यु दिनांक 18.09.1997 को हो चुकी है और वादी मथरा का दत्तक पुत्र है जो

मात्र एक वारिस है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज में पिता का नाम मथरा ही दर्ज है। वादी ने मथरा लाल के फौती इंतकाल बाबत भी कार्यवाही तहसील कार्यालय इन्द्रगढ़ व श्रीमान उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में पेश की हुई है। दिनांक 09.10.2025 को उपखण्ड अधिकारी साहब लाखेरी को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात भी भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

07. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से प्रकट होता है कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता के नाम अंकित है एवं उक्त कृषि भूमि को केन्द्र सरकार द्वारा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में निहित किया जा चुका है। जिसकी प्रतिकर मुआवजा राशि का भुगतान उक्त भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र वादी बजरंगलाल को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। चूंकि वादी मथरालाल का दत्तक पुत्र है जो एकमात्र वारिस है एवं वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज में पिता का नाम मथरा ही दर्ज है। दिनांक 09.10.2025 को उपखण्ड अधिकारी लाखेरी को प्रार्थना पत्र देने के बाद भी भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। साथ ही वादी की ओर से जो गवाह परीक्षित कराये गए हैं वे सभी वादपत्र के तथ्यों को अपने शपथ पत्र में दोहराते हुए वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आने का कथन कर रहे है।

08. वादी की ओर से परीक्षित गवाहों में पी.ड.01 बजरंगलाल जो कि स्वयं वादी है व अन्य गवाह पी.ड.02 व पी.ड.03 दोनों गवाहों ने वादी बजरंगलाल को ही मथरालाल को वादी का पिता होने का कथन किया है व वादी को उसका दत्तक पुत्र होने से मथरालाल की सम्पत्ति का मालिक माना है एवं भूमि अवाप्ति का मुआवजा राशि दिलवाये जाने के संबंध में कथन किया है व वादी की ओर से पेश उक्त दस्तावेज के अनुसार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के द्वारा वादी को उक्त मुआवजा राशि प्राप्त कराने के संबंध में नोटिस भी दिया गया है व वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं, उनमें प्रदर्श–5 लगायत 9 बिजली के बिल है, जिसमें वादी बजरंलाल के पिता मथरालाल का ही नाम अंकित हो रखा है एवं

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह में भी किसी प्रकार से खंडित नहीं हुई है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त अखंडित मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई न्यायोचित कारण हमारे समक्ष नहीं रहता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2000-01 DNJ (Raj.) (Suppl.) 245 Chowksi & Company Vs M/s. Bansiram Kartar chand** में निम्न रूप से प्रतिपादित किया गया है किः–

"When defendant leads no evidence and the plaintiff's suit/case is not refuted, then the decree will follow."

अतः उपरोक्तानुसार वादी यह साबित करने में सफल रहे है कि वादी की पैतृक कृषि भूमि केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निहित हो चुकी है परन्तु उक्त भूमि का प्रतिकर अथवा मुआवजा मथरा की मृत्यु हो जाने से उसके दत्तक पुत्र वादी बजरंगलाल को उक्त भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अतः वादी उक्त आदेशात्मक आज्ञा का पालन करवाये जाने का अधिकारी है। ऐसे में उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार वादी का वाद वांछित अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी रहता है एवं उक्त विचारणीय प्रश्न वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

:: आदेश ::

09. एतद्द्वारा **वादी बजरंगलाल** की ओर से प्रस्तुत यह वाद विरूद्ध **प्रतिवादी भूमि अवाप्ति अधिकारी वगै0** बाबत आदेशात्मक आज्ञा का एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है किः–

01. यह कि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/N.H. 148N./2019/1235 दिनांक 13.09.2019 किता 2 में वर्णित मुआवजा राशि का मुआवजा वादी को दिया जावे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(हनुमान सहाय मीना)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़

10. निर्णय आज दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सिविल न्यायाधीश, इन्द्रगढ़